राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 432/2017/~~भीलवाडा~~ चित्तौड़गढ़

मैसर्स श्याम ट्रेडिंग कम्पनी
चित्तौडगढ अपीलार्थी

बनाम

1.उपायुक्त(प्रशासन)वाणिज्यिक कर
भीलवाडा
2.सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
घट पंचम, मुख्यालय निम्बाहेडा, जिला–चित्तौडगढ प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित
श्री वी.के.पारीक व राकेश मेहता
अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थीगण की ओर से
निर्णय दिनांक 23.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी की ओर से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 34 के अन्तर्गत अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन) वाणिज्यक कर, भीलवाडा (जिसे आगे उपायुक्त (प्रशासन) कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.11.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट पंचम, मुख्यालय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) ने अपीलार्थी व्यवसायी के वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.05.2016 को एक पक्षीय पारित कर रू. 4,82,190/–की मांग सृजित की गई है। अपीलार्थी व्यवसायी ने उक्त कर निर्धारण आदेशों से क्षुब्ध होकर अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उपायुक्त(प्रशासन) ने उक्त प्रार्थना पत्र विचार करने के पश्चात दिनांक 18.11.2016 को आदेशिका में निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र. अस्वीकार कर दिया है, जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित प्रदान किये बिना ही एक पक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित कर मांग रू. 4,82,190/– की मांग सृजित की है, जो अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने से पूर्व उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है। उनका कथन है कि नैसर्गिक न्याय का तकाजा है कि मांग सृजित करने से

पूर्व उसे सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी का आदेश क्रमशः दिनांक 28.05.2016 नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के प्रतिकूल हैं, जो अपास्त योग्य हैं। उनका कथन है कि उपायुक्त (प्रशासन) ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना ही अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपास्त किया है, जो अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर पुनः आदेश पारित करने हेतु निर्देश देने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं उपायुक्त(प्रशासन) के आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व नोटिस तामील करवाये गये थे, किन्तु व्यवहारी ने ना तो स्थगन हेतु प्रार्थना पत्र और ना ही स्वयं उपस्थित हुआ, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी के पास एकपक्षीय आदेश पारित करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकर करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2013–14 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.05.2016 को एकपक्षीय पारित किया गया है,जिसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत आन लाईन प्रार्थना पत्र उपायुक्त(प्रशासन) को प्रेषित किया गया है। आदेशिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलार्था व्यवहारी को सुनवाई की सूचना जरिए ई मेल भेजी गई है।

उपायुक्त (प्रशासन) के आदेश के अवलोकन करने पर यह ज्ञात नहीं होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस तामील कराया है या नहीं।

अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया है कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है इसलिए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाये। प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों के विचार करने के पश्चात न्याय हित में यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का एक और अवसर प्रदान किया जाये। अतः कर निर्धारण अधिकारी एवं उपायुक्त(प्रशासन) के आदेशों को अपास्त कर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वह अपीलार्थी को एक अवसर और प्रदान कर

इस निर्णय की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करें। अपीलार्थी व्यवहारी को भी यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह स्वयं इस आदेश के प्राप्ति के 30 दिन के भीतर आलोच्य अवधि से सम्बन्धित लेखा पुस्तकों के साथ कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर कर निर्धारण सम्पूरित करावें। यदि अपीलार्थी उक्त निर्देशों की पालना करने में असफल रहता है तो उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा पारित निर्णय 18.11.2016 यथावत रहेंगा।

फलस्वरूप अपील स्वीकार कर प्रतिप्रेषित की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य